

न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका

भुहदबंदी वाद सं० - 02/2022-2023


अल्लाउदीन सिदिकी वनाम इब्राहीम सिदिकी वैगरह

आदेश

Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
13/10/23	<p>अभिलेख उपस्थापित ।</p> <p>वाद की कार्यवाई प्रथमपक्ष द्वारा दखिल आवेदन के आलोक में प्रारंभ की गई है । प्रथमपक्ष द्वारा वाद की कार्यवाई में चालान द्वारा राशि 50000(पचास हजार) निबंधित केवाला में दर्ज बिक्री की राशि तथा दश प्रतिशत अन्य चालान से 5000/- पांच हजार का चालान, 80 सी० पी० सी० का नोटिश साथ नोटिश भेजे जाने का पोस्टल रशीद जमा किया गया है । जिसके वाद सुनवाई के उपरांत उभय पक्ष को वाद की सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होने का नोटिश निर्गत किया गया साथ ही अंचल अधिकारी चिनियों से प्रतिवेदन मांगी गई । वाद की कार्यवाई में द्वितीय पक्ष हाजीर होकर अपनी बात रखी गई साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है ।</p> <p>वाद की कार्यवाई में प्रथमपक्ष द्वारा लिखित जबाब दाखिल किया गया जिसके अनुसार यह वाद बिहार लैंड रिफार्म फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विवेशन ऑफ सर प्लस लैण्ड एक्ट 1961 की धारा 16(3) (I) के तहत यह वाद आवेदन दाखिल किया गया है । वाद में वर्णित भूमि ग्राम रनपुरा खाता सं० पु० 15/2 नया 16 प्लॉट सं० पु० 424 नया 722 रकबा 0.37 ¼ ए० उ० जहीर मियां, द० रोड, पु० रोड, प० अल्लाउदीन सिदिकी पर चल रही है । वाद में वर्णित भूमि को केवाला सं० 2236 दिनांक 26.07.2022 द्वारा विपक्षी सं० 1 इब्राहीम सिदिकी पिता मो० सराजुदीन ग्राम रामचन्द्रपुर (शक्ति पारा) थाना रामचन्द्रपुर जिला - बलरामपुर छत्तीसगढ़ द्वारा क्रय किया गया है । केवाला में अंकित चौहदी के पश्चिम में प्रथमपक्ष अल्लाउदीन सिदिकी की है । इसलिए भूमि क्रय का पहला अधिकार प्रथमपक्ष का है । लेकिन बिना बताये विक्रेता जैतून निशा द्वारा द्वितीय पक्ष क्र० 1 को भूमि बिक्री कर दिया गया । भूमि का विक्रय मूल्य प्रथमपक्ष द्वारा चालान से जमा कर दिया गया है तथा नियम के अनुसार दुसरे चालान से 10 प्रतिशत भी जमा कर दिया गया है । इसलिए जमीन इनको रजिस्ट्री किया जाना चाहिए । क्योंकि क्रेता अलग राज्य छत्तीसगढ़ का निवासी है तथा ग्राम रनपुरा में कोई अन्य भूमि भी इसका नहीं है ।</p> <p>द्वितीयपक्ष द्वारा अपना पक्ष न्यायालय में रखी गई है । इनका कथन है कि ये जैतून निशा के दामाद हैं इनका कथन है कि भूमि की किमत सिर्फ जमीन रजिस्ट्री में अंकित किए हैं जिसे विक्रेता को नहीं दिए हैं । इस तरह जब किमत ही अदा नहीं हुई तो भूमि का हस्तांतरण ही नहीं हुआ । इस भूमि पर विक्रेता का ही दखल चला आ रहा है । इनके द्वारा इस वाद को नियम विरुद्ध बताया गया है । एवं वाद को खारीज करने के लिए अनुरोध किया गया है । अंचल अधिकारी चिनियों</p>	

द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रथमपक्ष अल्लाउदीन सिदिकी का इस जमीन पर दखल कब्ज़ा भी है। विपक्षी सं० 1 इब्राहीम सिदिकी का इस जमीन पर कभी भी दखल कब्ज़ा नहीं है। विपक्षी सं० 1 इब्राहीम सिदिकी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। विपक्षी सं० 2 जैतून निशा भी दूसरे जिला पलामू की निवासी हैं। दोनों में से कोई भूमि पर दखल कब्ज़ा में नहीं है।

अतः सभी बिन्दुओं पर गौर करने के उपरांत न्यायालय पाती है कि विपक्षी सं० 1 इब्राहीम सिदिकी अलग दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ का निवासी हैं। तथा विक्रेता जैतून निशा जिला पलामू की निवासी है। बिहार लैंड रिफॉर्म फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विवेशन ऑफ सर प्लस लैंड एक्ट 1961 की धारा 16(3) (I) के तहत इस वाद भूमि को क्रय करने का पहला हक प्रथमपक्ष चौहदी दार अल्लाउदीन सिदिकी को है। आदेश दिया जाता है कि विपक्षी सं० 1 इब्राहीम सिदिकी ग्राम रनपुरा थाना नं० 17 तौजी नं० 89 खेवट नं० 1 खाता सं० नया 16 पुराना 15/2 प्लॉट सं० नया 722 पुराना 424 रकबा 0.37 ¼ ए० चौहदी उ० जहीर मियां दक्षिण रोड, पूरब रोड, पश्चिम अल्लाउदीन सिदिकी विवरण की भूमि को प्रथमपक्ष अल्लाउदीन सिदिकी को तीस दिन के अन्दर निबंधित केवाला से रजिस्ट्री कर जमा राशि जो भूमि की कीमत के रूप में जमा है का भुगतान प्राप्त कर लें।


13.10.23
उप समाहर्ता भूमि सुधार
रंका।